

ब्रह्मपुर में फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर चोरी की! पुलिस ने पकड़ ली बड़ी बोहताड़ी षड्यंत्रकारी

बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में एक फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी अरवदि जायसवाल को गरिफ्तार कर लिया गया है। यह मामला 2023 में राजस्थान पुलिस के NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।

अर्जति कदमों का संक्षिप्त विवरण:

- >> अरवदि जायसवाल (पति बैजनाथ प्रसाद), नमिज गांव के निवासी, ने 2023 में अपने बेटे संजीव जायसवाल के मृत्यु प्रमाणपत्र का हूँदबना किया।
- >> राजस्थान पुलिस द्वारा जाँच के बाद पता चला कि संशोधित दस्तावेज जाली हैं और संजीव अभी भी जीवित हैं।
- >> राजस्थान पुलिस ने ब्रह्मपुर थाने में फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी और पुलिस को भ्रमति करने के आरोप में प्राथमिकी दायर की।
- >> चार वर्ष तक फरार रहने के बाद, गुप्त सूचना मिली कि आरोपी आरा जीरोमाइल स्थिति अपने आवास पर हैं।
- >> ब्रह्मपुर पुलिस टीम ने मूवमेंट पर त्वरित छापेमारी कर अरवदि को गरिफ्तार किया।
- >> जवाबदार ठहराकर न्यायिक हिसाब में भेजा गया और आगे की प्रक्रिया के लिए न्यायालय में पेश किया गया।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

जाली दस्तावेज बनाकर पुलिस को धोखा देकर जेल से बचने और संभावित दंड से मुक्ति पाने की कोशिश की गई। यह एक धोखाधड़ी और जालसाजी की क्रिया है।

वर्तमान में उसे न्यायिक हिसाब में रखा गया है। आगे की सजा की सुनवाई न्यायालय में आगामी दिनों में होगी।